

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्र. एफ 40(14)ग्रावि/नरेगा/मैनुअल/2010

जयपुर, दिनांक:

2 JUN 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,

समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य के यूनिक कोड जनरेट करने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश।

प्रसंग: तकनीकी मैनुअल 2010 के बिन्दु संख्या 7.3.3 में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा जारी तकनीकी मैनुअल के बिन्दु संख्या 7.3.3 के अनुसार कार्य का यूनिक कोड 29 अंको का बताया है, जबकि एमआईएस सॉफ्टवेयर वर्जन 5.0 के अनुसार यूनिक कोड 17 अंको का ही जनरेट होता है। अतः तकनीकी मैनुअल एवं एमआईएस सॉफ्टवेयर वर्जन 5.0 में यूनिक कोड में अन्तर होने के कारण इसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।


क्र.सं.	विवरण	नरेगा मार्गदर्शिका-2010 के अनुसार	एमआईएस सॉफ्टवेयर वर्जन 5.0 के अनुसार अब प्रस्तावित
1.	राज्य कोड	2 अंक	2 अंक
2.	जिले का कोड	2 अंक	2 अंक
3.	पंचायत समिति कोड	4 अंक	3 अंक
4.	ग्राम पंचायत कोड	4 अंक	3 अंक
5.	ग्राम कोड	8 अंक	0
6.	वर्ष का कोड	4 अंक	0
7.	कार्य की श्रेणी	2 अंक (न्यूमेरिक)	2 अंक (शब्दों में)
8.	कार्य का क्रमांक	3 अंक	5 अंक
	कुल योग	29 अंक	17 अंक

चूंकि कार्य स्वीकृति क्रमांक एक ग्राम पंचायत के लिए एक से लेकर लगातार बढ़ते हुए क्रम में अंकित किया जाता है। अतः ग्राम कोड, वर्ष कोड की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरणार्थ :- यदि राजस्थान राज्य (27) का जयपुर जिला (12) की पंचायत समिति झोटवाड़ा (009) की ग्राम पंचायत मुडिया रामसर (224) में सड़क कार्य (RC) में कार्य क्रमांक (30078) है तो कोड निम्नानुसार होगा :- 2712009224 / RC / 30078

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना की जारी तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के पैरा के बिन्दु संख्या 7.3.3 यूनिक कोड में एमआईएस सॉफ्टवेयर 5.0 वर्जन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। अब यह 29 अंको के स्थान पर 17 अंको का ही होगा।


भवदीय,

  
(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
6. ✓ श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता ईजीएस को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।



परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस